



उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

समस्त जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 4451/एसएलएसए-210/2024(ऋ/सरन)

दिनांक : नवम्बर 21, 2024

विषय: आगामी वर्ष 2025 हेतु राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में।

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्रांक एफ0एन0 एल0/34/2018, दिनांकित 14.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नालसा द्वारा आगामी वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों की तिथियां प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि निम्नवत् हैं:-

वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों का तिथिवार विवरण	
प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत	08.03.2025
द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत	10.05.2025
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत	13.09.2025
चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत	13.12.2025

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त तिथियों पर राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजनार्थ कृपापूर्ण अनुमति प्रदान करते हुये आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। तत्संबंध में निम्नवत् निवेदन है:-

- राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन की तिथियों से सर्वसम्मत को अविलम्ब अवगत कराया जाये।
- विगत वर्षों की भांति राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये पत्रों एवं परिपत्रों को सम्मिलित करते हुये अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजनार्थ समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये और जिला प्रशासन व पुलिस विभाग से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित कराये जायें।
- राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न प्रकृति के अधिकाधिक लम्बित वादों को चिन्हित किया जाये।
- चिन्हित वादों के पक्षकारों को सूचित करने के लिये कम से कम दो बार नोटिस जारी की जाये। ऐसी नोटिस लोक अदालत के आयोजन की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व की हो।

तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ-226001

फोन (का0) : 2286395, ई-मेल : upslsa@nic.in वेब साइट : www.upslsa.up.nic.in

टोल फ्री नं. 1800 419 0234

6. उपयुक्त प्रकृति के वादों (मोटर दुर्घटना दावा वाद, पारिवारिक वाद, एन0आई0एक्ट0 वाद, दीवानी वादों, शमनीय दाण्डिक वाद इत्यादि) के लिये न्यूनतम पांच-पांच प्री-ट्रायल बैठकों का आयोजन किया जाये और अधिकाधिक वादों के निस्तारण का प्रयास किया जाये। इस हेतु आवश्यक पीठों का गठन किया जाये।
7. राष्ट्रीय लोक अदालतों में अधिकाधिक मामलों को चिन्हित किया जाये और संधिवार्ता द्वारा निस्तारण का प्रयास किया जाये।
8. राष्ट्रीय लोक अदालतों में सरकार के विभिन्न विभागों को सम्मिलित करते हुये विभिन्न प्रकृति के प्री-लिटिगेशन वादों को चिन्हित किया जाये और अधिकाधिक निस्तारण का प्रयास किया जाये।
9. राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
10. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये चिन्हित वादों की सूचना ससमय नालसा पोर्टल पर अपडेट की जाये।
11. पूर्व की भांति राष्ट्रीय लोक अदालतों में निस्तारित प्री-लिटिगेशन वादों के आंकड़ों/विवरण को डिजिटली स्टोर/सुरक्षित किया जाये एवं इस हेतु संबंधित विभाग/संस्था से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाये।

सादर।

भवदीय,

(संजय सिंह-1)
सदस्य सचिव

पत्रांक एवं दिनांक समांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव न्याय, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त पीठासीन अधिकारी, मोटर यान दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, उ0प्र0।
7. समस्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उ0प्र0।
8. समस्त अध्यक्ष, वाणिज्यिक न्यायालय, उ0प्र0।
9. समस्त अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, उ0प्र0।
10. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0।
11. निबन्धक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण(डी0आर0ए0टी0), इलाहाबाद।
12. निबन्धक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण(डी0आर0टी0), इलाहाबाद/लखनऊ।
13. समस्त पीठासीन अधिकारी, भू अधिग्रहण, उ0प्र0।
14. सचिव, उ0प्र0, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
15. विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
16. समस्त बैंक।
17. समस्त बीमा कम्पनी।

(संजय सिंह-1)
सदस्य सचिव

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

Tel. 011-233827
011-23071450

Double Story Building, 26, Jaisalmer House, Mansingh Road, New Delhi -110011

डबल स्टोरी बिल्डिंग, 26, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011

B-Block, Ground Floor, Additional Building Complex, Supreme Court of India, New Delhi -110001

बी-ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, अतिरिक्त भवन परिसर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली -110001

F. No. L/34/2018 -NALSA

Dated: 14.11.2024

To

The Member Secretary
All the State Legal Services Authorities.

Sub.: National Lok Adalat Schedule-2025.

Respected Sir/Madam,

The National Lok Adalats across the country are organized as per the provision of the Legal Services Authorities Act, 1987 read with National Legal Services Authority (Lok Adalats) Regulations, 2009 in the Courts and Tribunals.

2. It has been the practice to conduct 4 National Lok Adalats in a year. Outcome of the National Lok Adalats organized during the years 2021, 2022, 2023 and 2024 (except next National Lok Adalat to be held on 14.12.2024) has been encouraging with respect to pending and pre-litigation cases. The statistical figures of the cases disposed of in the National Lok Adalats held in the last three years and the current year is as under:

Year	No. of Lok Adalats held	Pre-litigation Cases disposed of	Pending Cases disposed of	Total Cases disposed of
2021	4	72.06 lacs	55.82 lacs	127.88 lacs
2022	4	310.15 lacs	109.11 lacs	419.26 lacs
2023	4	710.33 lacs	143.09 lacs	853.42 lacs
2024	3	646.35 lacs	126.34 lacs	772.69 lacs

3. Approved schedule of the National Lok Adalats in the year 2025 is as under:

1st National Lok Adalat	08th March, 2025
2nd National Lok Adalat	10th May, 2025
3rd National Lok Adalat	13th September, 2025
4th National Lok Adalat	13th December, 2025

4. The framework to conduct the National Lok Adalat will be as under:

- I. The cases may be referred as per the procedure prescribed in the said Act and Regulations, and necessary directions be issued to all concerned to conduct pre-lok Adalat or pre-conciliation sittings before the scheduled date of National Lok Adalat, so that the opportunities for negotiations may be offered to the parties to arrive at a compromise or settlement;
- II. It is imperative that cases, wherein there is scope of an amicable settlement, are identified in advance;

- III. Use of technology or digital platforms in the process for organizing NLA is promoted;
- IV. Generally, following types of cases (pre-litigation and pending) may be taken up for settlement in the National Lok Adalats:

a. Pre-litigation:

All types of Civil and Compoundable Criminal cases, as may be permissible under the Act/Regulations may be taken up. The data and record of registration of cases be maintained by DLSA/HCLSC or TLSC under the directions of SLSA.

SLSA will make all endeavours to promote registration of pre-litigation cases and services of notices through digital platforms/online mode to ease pressure on conventional system.

b. Pending in the Courts:


All type of civil and compoundable criminal cases including following:

- i. Criminal Compoundable Offences;
- ii. NI Act cases under Section 138;
- iii. Money Recovery cases;
- iv. Motor Accident Claim cases;
- v. Labour dispute cases;
- vi. Disputes related to Public Utility services such as Electricity & Water Bills cases etc. (excluding non-compoundable);
- vii. Matrimonial disputes (except divorce)/ Family disputes
- viii. Land Acquisition cases;
- ix. Service matters including pension cases;
- x. Revenue and other ancillary matter, pending before High Court, district Courts and state/ district/ taluka authorities.
- xi. IPR matters/ Consumer matters/ also other matters pending before any other quasi-judicial authority
- xii. Other civil cases (rent, easmentary rights, injunction suits, specific performance suits etc.).

I am under direction to state that, kindly place this communication before the Hon'ble Executive Chairperson, SLSA for His Lordship's kind information and seek necessary directions.

With regards,

Yours faithfully,


(Director)
NALSA